



# मणिपुरः सुलगी दबी हुई चिंगारी

# गर्मी में सर्दी

## गर्मी में सदी

मई की शुरूआत में जब पूरा देश लू की चपेट में होता है उस समय बलोंगों का गरम कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट ने दखलाजे पर दस्तक दे दी है। हमें को यह मौसम पश्चिमी विक्षेप की देन है लेकिन सवाल यह है कि मुद्र के मिजाज में यह परिवर्तन क्यों आ रहा है। बताया जा रहा है कि मई तक किसी भी इलाके में गरम लहरें नहीं महसूस होंगी। तभाम लाकों में बारिश व ओलावृष्टि तथा पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हैरत में ल रही है। कमोबेश देश के अधिकांश भागों में मौसम के मिजाज में ही तीव्र बदलाव महसूस किया गया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई ज़न्यों में सुबह धूंध जैसी स्थिति नजर आई है। लोग भले ही इस मौसम में सुहावना बता रहे हों, लेकिन किसान अभी खेतों में खड़ी फसल को तीर तरह काट रहीं पाये हैं। यदि अब बर्बाद होता है तो हमारी खाद्य खलां भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगी। महंगाई की मार से हमें -चार होना पड़ेगा। यहीं वजह है कि किसान के माथे पर भी चिंता की कीर्ति है। निस्संदेह, जब मई के महीने में फरवरी-मार्च के मौसम का हसास होने लगे तो इसे खतरे की घंटी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाल उस मौसम में ही जब देश के विभिन्न भागों में भीषण गर्मी पड़ती और तापमान पचास डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचता है। इस समय वर्षे पूरे ताप के साथ नजर आता है। हालांकि, अप्रैल में कुछ समय अपूर्व गर्मी रही लेकिन बाद में माह के अंत और मई की शुरूआत में पमान अचानक बदल गया। यह स्थिति सिर्फ उत्तर भारत में ही हो, बास भी नहीं है। इसका प्रभाव दक्षिणी, पश्चिम, मध्य व पूर्वी भारत में नजर आ रहा है। यहां तक कि कई इलाकों में तापमान में दस डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम के मिजाज में आये इस प्रत्याशित बदलाव को देखकर लोग हैरत में हैं कि क्या वाकई ये मई महीना है? क्या गर्मी आएगी भी? दरअसल, जिस समुद्री व्यवहार बदलाव को इस मौसम की वजह बताया जा रहा है, उसके निकट विविध में पिछोहराये जाने की बात भी कही जा रही है। कमोबेश भारत ही नहीं, पूरे यूरोप भी में मौसम की ऐसी तल्खी नजर आ रही है। नाम यूरोपीय दशों में तापमान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। यह कटु सत्य है कि जब भारत में ठंड का अहसास हो रहा है तो पृथकी का तापमान बढ़ रहा है। वहीं दक्षिण भारत में तेज बारिश से तापमान में गिरावट आई है। भी राज्यों में मई में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर भारत में जनता की जनगणना नहीं करा सकती हैं क्योंकि भारतीय सर्विधान ऐसा कोई प्रवधान नहीं है। इसकी वजह यह है कि पूरे देश की जनगणना 1948 के कानून के अनुसार भारत सरकार द्वारा ही अखिल भारतीय स्तर पर कराई जा सकती है। भारत का कोई भी कानून किसी सरकार को यह अधिकार नहीं देता है कि वह प्रादेशिक आधार पर काम करा सके। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू होने के दूसरे यह मांग बड़ी तेजी से उठती रही है कि देश में जातिगत जनगणना अराई जानी चाहिए। इसके पक्ष व विपक्ष में अलग- अलग तर्क हो करते हैं मगर इतना निश्चित है कि प्रत्यक्ष रूप से यह कार्य केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही कराया जा सकता है। भारत के सर्विधान में जब जादी के बाद अनुसूचित जातियों व जन जातियों को आरक्षण दिया था तो सरकार के सामने 1931 में अंग्रेज सरकार द्वारा की गई जातिगत जनगणना के आंकड़े थे मगर 1990 में जब सरकारी नौकरियों पिछड़े वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का ग्रावधान दिया गया तो इस वर्ग के लोगों के कोई अधिकारिक आंकड़े नहीं थे। डिल आयोग ने अनुमान के आधार पर इस वर्ग के लोगों को 27 विशेषता आरक्षण देने की सिफारिश की थी और राय जाहिर की थी कि भारत में पिछड़े समुदाय के लोगों की सेंकड़ों जातियां हैं जो हिन्दू व स्लम दोनों ही सम्प्रदायों के लोगों के बीच में मौजूद हैं। इसमें भी लग-अलग राज्य में अलग-अलग पिछड़ी जातियां हैं। यहीं वजह है कि इस जाति के लोग बिहार में पिछड़े समुदाय में आते हैं, उत्तर प्रदेश या बंगाल में वे उस वर्ग में नहीं आते। परन्तु यह कार्य राज्य अपनी समर्जी से नहीं कर सकते इसके लिए केन्द्र स्तर पर पिछड़ा आयोग है। परन्तु सबाल यह है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार की नीतीश रकार के जातिगत जनगणना या सर्वेक्षण के काम को पूर्णतः गैर नानी माना है और कहा है कि सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना कराने का काम नहीं किया जा सकता। परन्तु भारत में यह मुद्दा विशुद्ध रूप से जननीति का विषय बन चुका है और इसका सम्बन्ध सीधे सामाजिक राय से जोड़ दिया गया है लोकतन्त्र में इसमें कोई हर्ज भी नहीं है योंकि सामाजिक न्याय तभी हो सकता है जबकि पहले यह पता चले समाज के किन वर्गों के साथ अन्याय होता रहा है। इस दृष्टि से देखें तो अंग्रेस नेता श्री राहुल गांधी द्वारा उत्ताप्नयन की गयी विशेष प्रयासों के अद्वितीय आदेश से ही लागू कर दी गई थीं क्योंकि संविधान में इसकी वस्था घलेसे ही थी। मगर इसके साथ यह भी सच कि संविधान ही सामाजिक न्याय की बात करता है और कहता है कि लोग पिछड़े रह गये हैं उद्देशक बनाने के उपाय राज्य विशेष प्रयासों के लिए। यहीं वजह है कि मंडल आयोग की सिफारिशें 1990 में केवल असाकारी आदेश से ही लागू कर दी गई थीं क्योंकि संविधान में इसकी वस्था घलेसे ही थी। मगर पिछड़ेपन का आधार सामाजिक व शैक्षणिक होगा। इसी वजह से सामाजिक न्याय का मुद्दा जातियों से जाकर जुड़ता क्योंकि भारतीय समाज की जाति व्यवस्था ही किन्हीं वर्गों के लोगों को चाचा या नीचा करके देखती है इसके चलते ही ऐसे वर्गों के लोगों को समाज ने ऐसे अ-धंधों के लायक ही रहने दिया जिनमें श्रम व शिक्षा का कोई तालमेल न बैठाया जा सके। इनमें किसानी से लेकर खेतीहर, श्रम व दस्तकारी कारिगरी और शिल्पकारी आदि के अलावा छोटे-मोटे काम-धंधे करने ले लोग पीढ़ी दर पीढ़ी से खपते रहे और उनकी पृथक जातियां तक आम के आधार पर ही बनती चली गईं। उदाहरण के लिए हमारी धोबी, लालों, खटीक, कुम्हार, लुहार, कहार, बढ़दी आदि समाज के लोगों को ले करते हैं। इनकी नई पीढ़ियों के साथ न्याय करने के लिए जरूरी है कि उनके शैक्षणिक उत्थान से लेकर सामाजिक उत्थान तक के लिए राज्य शेष प्रोत्साहन दें। मगर यह कार्य भारत के सर्विधान के अनुसार ही हो सकता है जबकि बिहार सरकार ने पिछड़े समुदाय की गणना करने के लिए जातिगत सर्वेक्षण का रास्ता चुना और ब्यांग जनगणना की तरह भरा।

आदित्य नारायण

मणिपुर को मणियां की भूमि कहा जाता है। यह राज्य समृद्ध घाटियों की धरा है जो सुंदर पहाड़ियों और झीलों से घिरी हुई है। मणिपुर 1891 में ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत एक रियासत थी। वर्ष 1947 में मणिपुर संविधान अधिनियम के अंतर्गत महाराजा को कार्यकारी प्रमुख बनाते हुए एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की गई। 21 जनवरी 1972 को भारत में एकीकरण के साथ यह क्षेत्र पूर्ण राज्य बन गया। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए पहचाना जाने वाला मणिपुर एक संवेदनशील सीमांत राज्य भी है। सामरिक दृष्टिकोण से भी इस राज्य का अपना महत्व है। राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा से न केवल राज्य सरकार चिंतित है बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी बड़ी परेशानी का सबब है। गृहमंत्री अमित शाह राज्य के मुख्यमंत्री एन.वीरेन सिंह से संपर्क बनाए हुए हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मणिपुर में गत बुधवार से ही जमकर हिंसा हुई। हालात इतने गंभीर हुए कि आठ जिलों में कफ्यू लगा दिया गया। देखते ही देखते धर्मस्थलों, घरों, वाहनों और सरकारी सम्पत्ति को आग के हवाले कर दिया गया। दस हजार के करीब लोगों को हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर राहत शिविरों में भेजा गया। मणिपुर के हालात को देखते हुए वहां जाने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं। इंटरनेट सेवाएं रुकी हैं। अब सवाल यह है कि मणिपुर आखिरकार जला क्यों? हालत इतनी तेजी से क्यों बिगड़े कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने पड़े।

## सत्य और साहस

### संजीव ठाकुर

यह कहावत एकदम सत्य है कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं स यदि सत्य सच्चाई नहीं होती तो मानव जीवन नहीं होता क्योंकि पहाड़, झरना, नदिया जंगल और प्रकृति द्वारा दिए गए प्रतिशत के रूप में मानव सहित सांसारिक जीव जंतु प्राकृतिक सत्य की उत्पत्ति हैं स और यह भी सत्य है कि मनुष्य अपने लालच, स्पृहा, कामना, कपट के चलते असत्यता झूठ और फैरब का सहारा और वैशाखी लेकर त्वरित लाभ के लिए जीवन के भाव सागर में कूद पड़ता है परंतु सत्य ही अंतिम सत्य है परंतु आज की परिस्थितियों में सच्चाई जीवन के हर पहलू से परे होती जा रही है। आज हम स्वयं दिभ्रहित हैं तो अने वाली पीढ़ी को हम क्या नैतिक, संस्कारिक और सांस्कृतिक विरासत दे पाएंगे। आज के इस उत्तर आधुनिक समाज में जहां उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रधानता के परिपेक्ष में भौतिक साधनों एवं सुखों के लक्ष्य की प्राप्ति की एकमात्र उपाय रह गई वहां भौतिकवाद तथा शारीरिक सुख की प्राप्ति का प्रचलन पूरे समाज में फैल गया है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झूठ फैरब एवं घट्यंत्र ने अपना जाल बुन रखा हैं प्राचीन काल से हम आध्यात्मिक, संस्कारिक, सांस्कृतिक रूप से बढ़ रहे थे पर विकास की अवधारणा ने एक नया स्वरूप ले लिया है इन परिस्थितियों में समाज के सदस्यों ने झूठ और फैरब का सहारा लेना शुरू कर दिया हैं स भौतिकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा

## नीतीश कुमार

### कोट



यह इतना ही जरूरी मुद्दा है कि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया गया बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोट ने साफकहा है कि जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठता है कि जातीय जनगणना के नाम पर बिहार सरकार अभी तक समय, श्रम आ और संसाधन का दुरुपयोग कर रही थी? क्या सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के कानून विशेषज्ञों से राय-मध्यान्वयन होती थी। अगर सचमुच बिहार सरकार ने ऐसा किया होता तो समय, श्रम और संसाधन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राज्य सरकार के फैसले पर होईकोर्ट ने रोक लगा दी हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के दौरान भी किंच-



ह, जबाक नागा आर कुकु समुदाय का आवादा 40 पैसेस्टी के आसपास है, तो एक तरह से इसे वर्चस्व की लड़ाई भी कहा जा सकता है। मैत्रई समुदाय पिछले करीब 10 सालों से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में मैत्रई ट्राइब यूनियन ने मणिपुर हाईकोर्ट का रुख किया और अदालत के सामने मांग रखी कि वो राज्य सरकार को उनकी मांग पर विचार करने का निर्देश दे और इसके लिए राज्य केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक सिफारिश भी भेजे। इस मामले की सुनवाई के बाद ही पिछले महीने अदालत ने अपना फैसला मैत्रई समुदाय के पक्ष में सुनाया और राज्य सरकार से केंद्र को सिफारिश भेजने और उनकी मांग पर विचार करने को कहा। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 4 महीने के भीतर केंद्र को सिफारिश भेजे। कोर्ट के इस फैसले के बिरोध में ऑल ट्राइबल स्ट्रूट्यूनियन ऑफमणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला और इस दौरान हिंसा भड़क उठी। दोनों ही पक्ष अपने-अपने पक्ष में तर्क देते हैं। मैत्रई समुदाय का कहना है कि 1949 में भारत के साथ रियासत के विलय से पहले मैत्रई समुदाय को आदिवासी समुदाय के रूप में मान्यता दी गई थी लेकिन विलय के बाद इसने अपनी आदिवासी पहचान खो दी। समुदाय का कहना है कि वह एसटी का दर्जा सिर्फनौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण के लिए नहीं मांग रहा बल्कि यह पैतृक सम्पत्ति, संस्कृति और पहचान का मसला है। वर्हीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय का कहना है कि मैत्रई समुदाय जनसंख्या में ज्यादा है


## के दो पतवार, इन

अर्थ में कहा गया है कि यह हमें दिग्भ्रमित करके विचित कर्तव्य एवं रोजर्मार्के के आत्मीय व्यवहार से वंचित रखता है और असत्य कथन को समस्त बुराइयों अपराधों की जननी माना जाता है। हम भौतिकवादी मानसिकता से इतने अधिक ग्रसित हो गए हैं कि पारिवारिक सदस्यों के बीच हमारे आत्मीय संबंध लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और ऐसे बनावटी परिवेश में व्यक्ति तथा समाज अपनी भौतिक मानसिक विलासिता तथा सफलता के दायरे में सिमट कर रह गया है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति अत्यंत उन्मुक्त निसंकोच तरीके से असत्य का सहारा लेने से भी नहीं चूक रहा है। भौतिक सुख साधनों की लालसा में मनुष्य में साधनों की सत्यता तथा शुद्धता फिर भी गहरा समझौता कर समाज में असामाजिक व्यवहार को अपना लिया है जिसके दूरगामी परिणाम भारतीय समाज के लिए अच्छे संकेत नहीं हैं। आज मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता की बारीक लकीर हो पहचाने से काफी दूर हो गया है तथा भौतिक विकास के लिए किसी भी साधन को अपनाने से नहीं परहेज करता है। मानव बुद्धि विवेक संपन्न होने के कारण भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर तरह के उपायों को नए-नए हथकंडे के रूप हैं उपयोग करने लगा है जिससे समाज में विसंगतियां पैदा होकर आत्मीय संबंधों की बलि चढ़ गई है। आदिकाल से ऐतिहासिक तौर पर भी मानव की सच्चिरित्रा पर सवालिया निशान खड़े होते रहे हैं। समाज ने आपसी संबंधों को संचालित करने के लिए कुछ आदर्श मापदंड का प्रावधान

## ट पा जाति आ

## ई बिहार की सिया

## य जनगणना



आर राजनाधि में इस समुदाय का प्रभुत्व है क्योंकि राज्य में 60 में 40 विधानसभा सीटें घाटी में हैं। आदिवासियों को डर है कि मैतेरै समुदाय आदिवासी समुदाय को मिलने वाली नौकरियों और अन्य लाभ छीन सकता है। मैतेरै घाटी में रहते हैं और वे बहुसंख्यक हैं लेकिन जिनकी आबादी कम है उनके अधिकारों की भी रक्षा होनी चाहिए। पहाड़ी जिलों के आदिवासियों के अधिकार नहीं छीने जाने चाहिए। एक बड़ी चिंता यह भी है कि पहाड़ी जिलों में 40 फीसदी आबादी इसाई है। मणिपुर के पहाड़ी जिलों को ग्रेटर नागालैंड में शामिल करने की मांग काफी पहले से हो रही है, मैतेरै समुदाय के दबदबे से बचने के लिए मणिपुर के पहाड़ी जिलों के अधिकांश लोग ग्रेटर नागालैंड में शामिल होने के इच्छुक हैं। आदिवासी समूहों को लगता है कि अगर मैतेरै समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला तो वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे इससे आदिवासी हाशिए पर चले जाएंगे। मणिपुर में अवैध धूसपैठ की समस्या तो कई सालों से बनी हुर्दू है। राज्य की भाजपा सरकार को चाहिए कि वह जन भावनाओं का सम्पन्न करते हुए सभी समुदायों को विश्वास में ले और किसी के अधिकार छीनने की आकंक्षाओं को समाप्त किया जाए। पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय समुदाय अपनी अलग संस्कृति और पहचान बनाए रखने के मामले में काफ़ी संवेदनशील हैं। इसलिए कई बार पूर्वोत्तर भारत के राज्य जल उठते हैं। राज्य सरकार को बहुत ही सावधानी से काम करना होगा।

## का साथ ना छोड़े

भी रखा है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण सावधान सत्य बोलने का है किंतु मनुष्य अपने सुख साधन बटोरने के लिए सदैव सत्य से परहेज करने लगा जिससे मनुष्य नैतिकता से काफ़ी दूर हो गया एवं सामाजिक मान्यताओं को छिन्न-भिन्न करता आया है। आज भौतिक साधन संपत्तता समाज में सर्वोच्च शिश्कर पर है और सामाजिक व्यक्तिगत आत्मीय सर्वेदनशील संबंध तक पर रख दिए गए हैं। नैतिकता सिद्धांतों की परिपाठी नष्ट प्राय होती जा रही है। ऐसे में एक आदर्श समाज की कल्पना बेमानी हो गई है। आज हमें सामाजिक मूल्यों को बचाने आत्मीय संबंधों की रक्षा करने के लिए सत्य तब और संयम का सहारा लेने की आवश्यकता होगी अन्यथा भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के रूप में यहां संवेदनशीलता आत्मीयता और मानवीय संबंधों की गरिमा खत्म होने के कागार पर है अपनाने में ज्यादा समय नहीं लेगा एवं भारतीय मूल्य संस्कार संस्कृति धीरे धीरे सनातनी समाज से दूर होते जाएंगे और हम हाथ में हाथ धरे देखते रह जाएंगे। आज नैतिकता केवल दूसरों के लिए उपदेश देने की वस्तु बन कर रह गई है। मनुष्य सामाजिक व्यवस्था का स्वयं निर्माता है किंतु नैसर्गिक रूप से लोभी, आलसी, तथा संग्रहण की प्रवृत्ति वाला हो चुका है ऐसे में कम परिश्रम में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए असत्य फेरब एवं जालसाजी का ही सहारा लेकर अनैतिकता का परचम फैलाने में लगा हुआ है। यह भारतीय परिवेश के लिए कर्तृत शुभ संकेत नहीं है।

## आधारित गणना

### सत

विशेषण करना है। सर्वेक्षण में ज्यादातर तार्किक निष्कर्ष होते हैं। राज्य द्वारा वर्तमान कवायद को केवल सर्वेक्षण के नाम पर जनगणना करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मामले पर प्रतिक्रिया देने हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसले को दुर्भायपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि सर्वसमर्पित इसे सदन से पास किया गया था। इसमें सबकी गिनती के साथ-साथ आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जाना है, चाहे वह किसी भी जाति का हो वा किसी भी समुदाय का। उन्होंने कहा है कि हम लोग सबके हित में यह काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इसका विरोध हो रहा है। इससे तो पता चलता है कि लोगों की मौलिक चीजों की समझ नहीं है। दूसरी ओर बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस मामले में भाजपा से चिढ़े हुए हैं और अभी भी आशान्वित हैं। उनका कहना है कि आज न कल जातिगत गणना जरूर होगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सप्ताह चौधरी ने इस मामले में सरकार की मंशा पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवाना ही नहीं चाहती थी। जिस कारण जानबूझकर ऐसा करवाया गया। सरकार ने अदालत में अपना पक्ष सहित अन्य दलों ने भी सरकार को अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने की सलाह दी है। मतलब साफ़ है कि जदयू और राजद छोड़कर सभी दल यह मानते हैं कि अदालत में सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। लेकिन ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठता है कि यह गणना अगर इतनी ही जरूरी थी तो उन लोगों ने इस मामले में सरकार का सहयोग क्यों नहीं किया। क्या वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट में सरकार की फ़जीहत हो और वे चुटकी ले सकें। फिलहाल सवाल यह भी है कि अगर अंतिम रूप से इस पर रोक लग जाती है तो इस मामले में अभी तक जो समय, श्रम और संसाधन का दुरुपयोग हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। बिहार की सत्ता की बागड़ेर लंबे दिनों से उन्हें लोगों के हाथ में है जिन लोगों ने समाजवाद का दामन पकड़कर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया था। लालू हों या नीतीश सबकी पहचान समाजवाद से जुड़ी है लेकिन उनके यहाँ, उनकी पार्टियों में समाजवाद की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। असल में उनकी पार्टियों में अब समाजवाद नहीं, सामाजिक बोलबाला है। अगर उनके यहां समाजवाद होता तो आज राजद की बागड़ेर तेजस्वी के हाथों में नहीं होती। माय समकारीण की बात करने वाले लालू अपनी पार्टी से ऐसा कोई चेहरा निकालकर लाते जो उनकी जगह ले पाता लेकिन समाजवाद की बात करने वाले लालू भी पुत्र-मोह में पंस गए और समाजवाद के विपरीत उन्होंने पार्टी में वंशवाद को बढ़ावा दिया। बिहार के अन्य क्षेत्रीय दलों का भी यही हाल है।

# सत्य और साहस जीवन की नाव के दो पतवार, इनका साथ ना छोड़

एकदम सत्य है जिस

सकता है पराजित नहीं स यदि सत्य सच्चाई नहीं होती तो मानव जीवन नहीं होता क्योंकि पहाड़, झरना, नदिया जंगल और प्रकृति द्वारा दिए गए प्रतिशत के रूप में मानव सहित सांसारिक जीव जुँ प्राकृतिक सत्य की उत्पत्ति है स और यह भी सत्य है कि मनुष्य अपने लालच, स्पृहा, कामना, कपट के चलते असत्यता झूठ और फेरब का सहारा और वैशाखी लेकर त्वरित लाभ के लिए जीवन के भाव सागर में कूद पड़ता है परंतु सत्य ही अंतिम सत्य है परंतु आज की परिस्थितियों में सच्चाई जीवन के हर पहलू से परे होती जा रही है। आज हम स्वयं दिग्भ्रामि हैं तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या नैतिक, संस्कारिक और सांस्कृतिक विरासत दे पाएंगे? आज के इस उत्तर आधुनिक समाज में जहां उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रथानाता के परिषेष में भौतिक साधनों एवं सुखों के लक्ष्य की प्राप्ति की एकमात्र उपाय रह गई वहां भौतिकवाद तथा शारीरिक सुख की प्राप्ति का प्रचलन पूरे समाज में फैल गया है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए झूठ फेरब एवं घट्यंत्र ने अपना जाल बुन रखा है स प्राचीन काल से हम आध्यात्मिक, संस्कारिक, सांस्कृतिक रूप से बढ़ रहे थे पर विकास की अवधारणा ने एक नया स्वरूप ले लिया है इन परिस्थितियों में समाज के सदस्यों ने झूठ और फेरब का सहारा लेना शुरू कर दिया है स भौतिकवाद सिर चढ़कर बोलने लगा

हस्य व्याकरण एवं सामाजिक आत्माय सबधारा के मूल्य का तेजी से क्षरण होने लगा हैस समाज के मूलभूत सिद्धांत तथा मूल्य गायब हो गए हैं। सामाजिक मूल्यों के खत्म होने की प्रक्रिया में सत्य बोलना कि एक मात्र साधन शेष रह गया है, किंतु वर्तमान समय में सच बोलना एक कठिन तप और तपस्या की तरह ही है। महात्मा गांधी के जीवन में भी उनके अध्यात्मिक दर्शन में सत्य अहिंसा मूल अवधारणा रही है उन्होंने इस सत्य को पहचाना और यह आशा प्रकट की कि यदि व्यक्तियों में सत्य के प्रति आस्था पैदा हो जाए तो सामाजिक नैतिकता का स्वर्व स्वयं उच्च स्तर को प्राप्त कर सकता है और सही मायने में सत्य ही मनुष्य के आचरण की ऊँचाई मानी जाती है। सत्य और अहिंसा पर चलने के लिए संयम, मनोबल, आत्मशक्ति और ऊर्जा ही एक बड़ा विकल्प है। सत्य और अहिंसा स्वाभिमान के प्रतीक है सत्य बोलने वाला मनुष्य स्वाभिमानी होता है दूसरी तरफ असत्य आत्मगलानि का द्योतक है। कबीर दास जी ने भी सत्य को ईश्वर मानकर कई दोहों की रचना की है। नकारात्मक व्यवहार सामाजिक स्तर पर किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण दुरुण है क्योंकि इसका प्रभाव पूरे समाज एवं देश पर गम्भीर परिणाम देने लगता है। झूठ बोलना और सच को नेपथ्य में धकेलना एक सबसे बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में समाने आई है। इसीलिए सामाजिक रूप से झूठ को सबसे बड़ा पाप कहा गया है पाप इस

य म कहा गया है एक यह हम प्रदानामत करके बाचत व्यव्य एवं रोजमर्दी के आत्मीय व्यवहार से वंचित रखता और असत्य कथन को समस्त बुराइयों अपराधों की नी माना जाता है। हम भौतिकवादी मानसिकता से ने अधिक ग्रसित हो गए हैं की पारिवारिक सदस्यों के बहारे आत्मीय संबंध लुप्त प्राय होते जा रहे हैं और बानावटी परिवेश में व्यक्ति तथा समाज अपनी भौतिक निषिक विलासिता तथा सफलता के दायरे में सिमट कर गया है। इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति अत्यंत उन्मुक्त अंकोच तरीके से असत्य का सहारा लेने से भी नहीं रहा है। भौतिक सुख साधनों की लालसा में मनुष्य साधनों की सत्यता तथा शुद्धता पर भी गहरा समझौता है। समाज में असामाजिक व्यवहार को अपना लिया है जिसके दूरगमी परिणाम भारतीय समाज के लिए अच्छे नहीं रहते हैं। आज मनुष्य नैतिकता एवं अनैतिकता की विकास के लिए किसी भी साधन को अपनाने से परहेज करता है। मानव बुद्धि विवेक संपत्ति होने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए हर ही के उपायों को नए-नए हथकड़े के रूप है उपयोग ने लगा है जिससे समाज मे विसंगतियां पैदा होकर अत्यीय संबंधों की बलि चढ़ गई है। आदिकाल से नहासिक तौर पर भी मानव की सच्चिरता पर सवालिया गान खड़े होते रहे हैं। समाज ने आपसी संबंधों को बालित करने के लिए कुछ आदर्श मापदंड का प्रावधान भा रखा है जननम सबस महत्वपूण सावधान सत्य बालन का है किंतु मनुष्य अपने सुख साधन बटोरने के लिए सदैव सत्य से परहेज करने लगा जिससे मनुष्य नैतिकता से काफी दूर हो गया एवं सामाजिक मान्यताओं को छिन्न-भिन्न करता आया है। आज भौतिक साधन संपत्ता समाज में सर्वोच्च शिखर पर है और सामाजिक व्यक्तिगत आत्मीय संवेदनशील संबंध तक पर रख दिए गए हैं। नैतिकता सिद्धांतों की परिपाटी नष्ट प्राय होती जा रही है। ऐसे में एक आदर्श समाज की कल्पना बेमानी हो गई है। आज हमें सामाजिक मूल्यों को बचाने आत्मीय संबंधों की रक्षा करने के लिए सत्य तब और संयम का सहारा लेने की आवश्यकता होगी अन्यथा भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के रूप में यहां संवेदनशीलता आत्मीयता और मानवीय संबंधों की गरिमा खत्म होने के कागर पर है अपनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा एवं भारतीय मूल्य संस्कार संस्कृति धीरे धीरे सनातनी समाज से दूर होते जाएंगे और हम हाथ में हाथ धरे देखते रह जाएंगे। आज नैतिकता केवल दूसरों के लिए उपदेश देने की वस्तु बन कर रह गई है। मनुष्य सामाजिक व्यवस्था का स्वयं निर्माता है किंतु नैसर्गिक रूप से लोभी, आलसी, तथा संग्रहण की प्रवृत्ति बाला हो चुका है ऐसे में कम परिश्रम में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए असत्य प्रेरणा एवं जालसाजी का ही सहारा लेकर अनैतिकता का परचम फैलाने में लगा हुआ है। यह भारतीय परिवेश के लिए कर्तव्य शुभ संकेत नहीं है।

# नाताश कुमार का ड्राम प्रार्जित था ज्ञात आधारत गणना

# फाट का राक स गमा इबहार का सयासत



यह इतना ही जरूरी मुद्दा है कि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो इसका सर्वसंज्ञमति से समर्थन किया गया बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफकहा है कि जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है गांजा सरकार का नहीं।

सरकार ने अगर कानून विशेषज्ञों का सहारा लिया होता तो ऐसी फजीहत नहीं होती। यह गणना बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी जरूरी मानी जा रही है। यह इतना ही जरूरी मुद्दा है कि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया गया। बिहार में चल रही जातीय जनगणना पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने साफकहा है कि जनगणना कराने का काम केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का नहीं। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठता है कि जातीय जनगणना के नाम पर बिहार सरकार अभी तक समय, श्रम आ और संसाधन का दुरुपयोग कर रही थी? क्या सरकार कोई भी फैसला लेने से पहले राज्य के कानून विशेषज्ञों से राय-मधिरा नहीं लेती। अगर सचमुच बिहार सरकार ने ऐसा किया होता तो समय, श्रम और संसाधन का दुरुपयोग नहीं हुआ होता। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राज्य सरकार के फैसले पर होइकोर्ट ने रोक लगा दी हो। इससे पहले भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। निकाय चुनाव के दौरान भी किंच-

यह तो बहुत बहाराहा लेकिन हवा तो वहै कि

किंच हुई। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की अधिसूचना जरी कर दी। मैदान में पहले से ताल ठोक रहे उम्मीदवारों ने ताबड़ोड़ नामांकन करवाए और धुआंधार प्रचार शुरू हुआ। चुनाव में दो दिन ही बाकी थे कि हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी। यहां भी समय, श्रम और सासाधन का खूब दुरुपयोग हुआ। चौंक हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगा दी तो उम्मीदवारों का नामांकन भी स्वतंत्र रद्द हो गया। चुनाव में पारी की तरह पैसा बहाने वाले उम्मीदवारों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। बिहार में अभी भी कुछ जगहों पर निकाय चुनाव होना बाकी है। मामला अदालत में उलझा हुआ है। मुझे लगता है कि इस मामले में सरकार ने अगर कानून विशेषज्ञों का सहारा लिया होता तो ऐसी फजीहत नहीं होती। यह गणना बिहार ही नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति के लिए भी जरूरी मानी जा रही है। यह इतना ही जरूरी मुद्दा है कि विधानसभा में जब इस विधेयक को लाया गया तो इसका सर्वसंमति से समर्थन किया गया। पक्ष-विपक्ष के तमाम नेताओं ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। हालांकि इस मामले में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के विचारों में अंतरविरोध दिखा। एक तरफकेंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफारा देकर बताया कि केंद्र जाति आधारित जनगणना नहीं कराएगा तो दूसरी तरफ बिहार में भाजपा जीती य जनगणना के पक्ष में विरोधी नेताओं के सुर में सुर मिलाती रही। बिहार भाजपा आज भी जातीय गणना के समर्थन में है और बिहार सरकार पर होईकोर्ट में अपना पक्ष ठीक से नहीं रखने का आरोप लगाया है। हालांकि अन्य दलों ने भी सरकार पर विफलता का ठप्पा लगाने की कोशिश की है। सभी दल जातीय गणना से हासिल होने वाले आंकड़ों की आंच में अपनी-अपनी रोटी संकेने का सपना संजो रहे हैं। इन आंकड़ों से समाज के शेषियों-वंचितों का कितना भला होगा

यह तो वक्त बताएगा लेकिन इतना तो यह है कि आने वाले दिनों में बिहार में अगढ़ा-पिछड़ा की राजनीति जोर पकड़ेगी। मंडल-कमंडल का भी ढंका बजेगा। हालांकि इस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। इसे अंतरिम रोक बताया गया है। अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी। अब यह देखना दिलच्स्प होगा कि तीन जुलाई को इस मामले में हाईकोर्ट की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन चार मई को जातीय गणना पर अंतरिम रोक लगाते हुए हाईकोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी, वह काफी गंभीर थी। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टा हमारी राय है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की कोई शक्ति नहीं है। जिस तरह से यह किया जा रहा है, वह एक जनगणना के समान है। ऐसा करना संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। जाति आधारित गणना के दौरान बिहार सरकार ने चालाकी से बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। सरकार ने इसे जातीय जनगणना नहीं कहा, बल्कि इसका नाम जाति आधारित गणना दिया गया। कोर्ट को यह बताया कि यह जाति आधारित सर्वेक्षण है। लोगों ने वही समझा जो सरकार समझाना चाहती थी। हाईकोर्ट में सरकार की यह चालाकी पकड़ी गई। विभिन्न संस्थाओं और कुछ व्यक्तियों द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने साफशब्दों में कहा है कि राज्य एक सर्वेक्षण की आड़ में एक जातिगत जनगणना करने का प्रयास नहीं कर सकता। खासकर जब राज्य के पास बिल्कुल विधायी क्षमता नहीं है और उस स्थिति में न ही भारत के संविधान की धारा 162 के तहत एक कार्यकारी आदेश को बनाए रखा जा सकता है। अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण और जनगणना के बीच के अंतर को भी बिल्कुल साफ शब्दों में रेखांकित किया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनगणना सटीक तथ्यों और सत्यापन योग्य विवरणों के संग्रह पर विचार करता है। जबकि सर्वेक्षण का उद्देश्य अम जनता की राय और धारणाओं का संग्रह हौर उनका अध्यक्ष सम्प्राट चौधरी ने इस मामले में सरकार की मंश पर ही सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार जाति आधारित गणना करवाना ही नहीं चाहती थी। जिस कारण जानवृद्धाकर ऐसा करवाया गया। सरकार ने अदालत में अपना पक्ष सही ढंग से नहीं रखा। दूसरी ओर कांग्रेस और माले सहित अन्य दलों ने भी सरकार को अदालत में अपना पक्ष मजबूती से रखने की सलाह दी है। मतलब साफ है कि जदयू और राजद छोड़कर सभी दल यह मानते हैं कि अदालत में सरकार ने अपना पक्ष ठीक से नहीं रखा। लेकिन ऐसे में क्या यह सवाल नहीं उठता है कि यह गणना अगर इतनी ही जरूरी थी तो उन लोगों ने इस मामले में सरकार का सहयोग क्यों नहीं किया। क्या वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट में सरकार की फ़जीहत हो और वे चुटकी ले सकें। फिलहाल सवाल यह भी है कि अगर अंतिम रूप से इस पर रोक लग जाती है तो इस मामले में अभी तक जो समय, श्रम और संसाधन का दुरुपयोग हुआ है, उसकी जवाबदेही कौन लेगा। बिहार की सत्ता की बागड़ेर लंबे दिनों से उन्हीं लोगों के हाथ में है जिन लोगों ने समाजवाद का दामन पकड़कर अपना राजनीतिक चेहरा चमकाया था। लालू हों या नीतीश सबकी पहचान समाजवाद से जुड़ी है लेकिन उनके यहाँ, उनकी पार्टीयों में समाजवाद की क्या स्थिति है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। असल में उनकी पार्टीयों में अब समाजवाद नहीं, सामंतवाद का बोलबाला है। अगर उनके यहाँ समाजवाद होता तो आज राजद की बागड़ेर तेजस्वी के हाथों में नहीं होती। माय समकीरण की बात करने वाले लालू अपनी पार्टी से ऐसा कोई चेहरा निकालकर लाते जो उनकी जगह ले पाता लेकिन समाजवाद की बात करने वाले लालू भी पुत्र-मोह में फ़ंस गए और समाजवाद के विपरीत उन्होंने पार्टी में बंशवाद को बढ़ावा दिया। बिहार के अन्य क्षेत्रीय दलों का भी यही हाल है।











